झारखण्ड सरकार

Annexure - I

FORM – I
(for Linear projects)
GOVERNMENT OF JHARKHAND
Office of the District Collector, West Singhbhum, Chaibasa

NO :- 1480 (B) **DATE :-** 14.12.16

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Notified RF Gua Link Road (MDR 187) Hathi Chowk – Baraiburu to Gua **4.45** Hactare forest land proposed to be diverted in favour of **The Excutive Engineer, R.C.D Road Division, Manoharpur** (name of user Agency) for **Road Construction of Hathi Chowk – Baraiburu to Gua** (purpose for diversion of forest land) in **WEST SINGHBHUM** district falls within jurisdiction of **BICHAIKIRI** villages in **Noamundi** Tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.45** Hectares of forest land area and Jungle-Jhar proposed for divertion, A copy of record of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I** to Annexure **III**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;

(c) the proposal does not invoice recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclossers – as above.

Office of the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa

14/12/16

Deputy Commissioner
West Singhbhum, Chaibasa

Signature

(Full Name and office seal of the District Collector)

झारखण्ड सरकार

Annexure - I

FORM – I
(for Linear projects)
GOVERNMENT OF JHARKHAND
Office of the District Collector, West Singhbhum, Chaibasa

NO :- 1480 (B)

DATE :- 14.12.16

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Notified RF Gua Link Road (MDR 187) Hathi Chowk – Baraiburu to Gua **4.45** Hactare forest land proposed to be diverted in favour of **The Excutive Engineer, R.C.D Road Division, Manoharpur** (name of user Agency) for **Road Construction of Hathi Chowk – Baraiburu to Gua** (purpose for diversion of forest land) in **WEST SINGHBHUM** district falls within jurisdiction of **BICHAIKIRI** villages in **Noamundi** Tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.45** Hectares of forest land area and Jungle-Jhar proposed for divertion, A copy of record of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I** to Annexure **III**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;

(c) the proposal does not invoice recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclossers – as above.

Office of the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa

14/12/16

Deputy Commissioner
West Singhbhum, Chaibasa

Signature
(Full Name and office seal of the District Collector)

दिनांक 12.11.2016 को जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 12.11.2016 को जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा – अध्यक्ष
2. परियोजना निदेशक, ITDA – सदस्य
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल – सदस्य
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल – सदस्य
5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल – सदस्य
6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल – सदस्य
7. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा – आमंत्रित सदस्य
8. अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर – आमंत्रित सदस्य
9. अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर – आमंत्रित सदस्य
10. श्री जुलियस दास, गैर सरकारी सदस्य – सदस्य
11. श्रीमती नन्दी मेलगान्डी, गैर सरकारी सदस्य – सदस्य
12. जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा – सदस्य सचिव

सर्व प्रथम उपायुक्त–सह–अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् समिति ने दिनांक 08.08.16 की जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में पोड़ाहाट चक्रधरपुर के अंचल गोईलकेरा के ग्राम–कातुएदेल से प्राप्त 08 व्यक्तिगत दावा तथा ग्राम–मोहनसाई से प्राप्त 23 व्यक्तिगत दावा तथा 01 सामुदायिक दावा पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त प्राप्त व्यक्तिगत दावा तथा सामुदायिक दावा में ग्रामसभा की उपस्थिति कम रहने तथा कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण स्वीकृति नहीं दिया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त अंचल से प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा को पुनः अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति को सभी कोरम पूर्ण करने हेतू भेजने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा अंचलों से पारित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा को समिति के समक्ष रखने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशश दिया गया।

उक्त निदेश के आलोक में अंचलों से प्राप्त एवं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति से पारित दावों को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष स्वीकृति हेतू उपस्थापित किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र0	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	कुल व्यक्तिगत दावों की सं0	कुल सामुदायिक दावों की सं0	कुल दावा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगन्नाथपुर	नोवामुण्डी	भनगाँव	96	0	96	
			डुमरजोवा	11	0	11	
			बम्बासाई	39	0	39	
		मझगाँव	जामोरपोस	0	01	01	
			कुलः-	146	1	147	
2	पोड़ाहाट चक्रधरपुर	मनोहरपुर	महुलडीहा	100	0	100	
			कुल योगः-	100	0	100	
3	सदर चाईबासा	हाटगम्हरिया	बड़ापुसिया	11	0	11	
		टोन्टो	दुरूला	17	0	17	
			सालीकुटी	5	1	6	
			बारूतोवा	30	1	31	
		मंझारी	बाईदा	0	1	1	
			बिदरी	0	1	1	
			कुल योगः-	63	4	67	
			सकल योगः-	309	5	314	

<u>प्रस्ताव संख्या -- 01</u> सर्वप्रथम समिति द्वारा ग्रामवार प्राप्त कुल दावा पत्रों की दस प्रतिशत दावा पत्रों का जांच करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त समिति द्वारा ग्रामवार प्राप्त दावा की जांच की गई। जांच के क्रम में सदर अनुमण्डल अन्तर्गत कुल 63 व्यक्तिगत दावों एवं 04 सामुदायिक दावों में से हाटगम्हरिया अंचल के ग्राम बड़ापुसिया के 11 व्यक्तिगत दावा, टोन्टो अंचल के ग्राम दुरूला के 17 व्यक्तिगत दावा, ग्राम सालीकुटी के 05 व्यक्तिगत दावा एवं 01 सामुदायिक दावा, ग्राम बारूतोवा के 30 व्यक्तिगत दावा एवं 01 सामुदायिक दावा एवं मंझारी अंचल के ग्राम बाईदा एवं ग्राम बिदरी के 01-01 सामुदायिक दावा अभिलेख जिला वनअधिकार समिति को प्राप्त हुआ। टोन्टो अंचल के ग्राम बारूतोवा कां 30 व्यक्तिगत दावा को ग्रामसभा की उपस्थिति कम रहने के कारण इसे अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति को वापस भेजने का निर्णय लिया गया, साथ ही निदेश दिया गया कि मतदाता सूची के 50 प्रतिशत की उपस्थिति ग्रामसभा में होना अनिवार्य है। जिसमें एक तिहाई महिला की उपस्थिति होनी चाहिए। शेष सदर अनुमण्डल के

हाटगम्हरिया अंचल के ग्राम–बड़ा पुसिया के 11 व्यक्गित दावा, टोन्टो अंचल के ग्राम–दुरूला के 17 व्यक्तिगत दावा, ग्राम–सालीकुटी के 05 व्यक्तिगत दावा तथा 01 सामुदायिक दावा कुल व्यक्तिगत दावा 33 तथा 01 सामुदायिक दावा को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या – 02 पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमण्डल अन्तर्गत 100 व्यक्तिगत दावों में प्राप्त अभिलेखों का समिति द्वारा ग्राम–महुलडीहा का बारी–बारी से जांच की गई। जांच के क्रम में सभी अभिलेख सही पाया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या – 03 जगन्नाथपुर अनुमण्डल से 146 व्यक्तिगत दावा अभिलेख का समिति द्वारा जांच किया गया जांचोपरान्त नोवामुण्डी अंचल के ग्राम भनगाँव के 96 व्यक्तिगत दावा, ग्राम डुमरजोवा के 11 व्यक्तिगत दावा, ग्राम बम्बासाई का 39 व्यक्तिगत दावा एवं मझगांव अंचल के ग्राम जामोरपोस के 01 सामुदायिक दावा अभिलेख प्राप्त हुए। जांचोपरान्त ग्राम–बम्बासाई के 39 व्यक्तिगत दावा में त्रुटि रहने एवं ग्रामसभा की उपस्थिति कम रहने के कारण पुनः इसे अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति को वापस भेजा गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि इसे सुधार कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष उपस्थापित करें। शेष जगन्नाथपुर अनुमण्डल से नोवामुण्डी अंचल के ग्राम–भनगांव के 96 व्यक्तिगत दावा, तथा डुमरजोवा के 11 व्यक्तिगत दावा कुल 107 व्यक्तिगत दावों को सर्वसम्मति से समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या – 04 समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ग्रामसभा से सृजित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा के अभिलेखों में दिए गए बुजूर्गों के ब्यान एवं आवेदक का परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड संलग्न करने का निदेश अंचलाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को दिया गया।

प्रस्ताव संख्या – 05 समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सभी स्वीकृत एवं निर्गत पटटो को सार्वजनिक करते हुए स्थानीय दैनिक समाचार या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पटटा वितरण की तिथि की घोषणा की जाय, जिससे लाभूकों को जानकारी मिल सके की पटटो का वितरण संबंधित अंचलों में किया जा रहा है, तथा इसकी सूची समाहरणालय के सूचनापटट पर भी अंकित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या – 06 समिति ने सामुदायिक अभिलेखों की जांच के क्रम में पाया कि ग्रामसभा से पारित दावा में मुख्य रूप से केन्दु पत्ता एवं जलावन की लकड़ी का उल्लेख किया गया है। जिसमें समिति ने निर्णय लिया है कि जलावन में सुखी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाना है, तथा केन्दु पत्ता संग्रहण हेतू वन विभाग से अनुमति लेने हेतू निदेश दिया गया।

प्रस्ताव संख्या – 07 दिनांक 25.06.2015 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था, कि मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड, चाईबासा को कुदलीबाद में आयरन एवं मैगनीज माईन्स हेतू कुल 350.74 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर के पत्रांक 138 क0, दिनांक 27.04.2015 के आधार पर अनापत्ति प्रमाणपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्र संख्या 843 बी0, दिनांक 09.07.15 के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र हिन्दी प्रपत्र में निर्गत किया गया। सरकार के प्राप्त वन एवं पार्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 03/वनभूमि–16/2010–1758, दिनांक 03.04.2014 के द्वारा वन एवं पार्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत अंग्रेजी के विहित प्रपत्र में निर्गत करने का निदेश प्राप्त है। जिसे समिति ने पुनः मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड, चाईबासा को कुदलीबाद में आयरन एवं मैगनीज माईन्स हेतू कुल 350.74 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र अंग्रेजी के विहित प्रपत्र में निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या – 08 अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के पत्रांक 861, दिनांक 03.11.16 के द्वारा गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक सड़क के पुनःनिर्माण चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य हेतू कुल 4.45 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आने वाले पथांशों के लिए वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने से संबंधित स्वीकृति अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित किया गया। जिसे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने सर्व सम्मति से कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक सड़क के पुनःनिर्माण चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य हेतू कुल 4.45 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आने वाले पथांशों के लिए वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्वीकृत सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का पटट्ा तैयार कर संबंधित अंचलों को वितरण हेतू उपलब्द्ध करायेंगे, तथा वनभूमि अपयोजन से संबंधित सभी पटट्धारी को विहित प्रपत्र पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में स–धन्यवाद बैठक की कार्यवाहीं समाप्त की गयी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण्डा वन प्रमण्डल,चाईबासा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा वन प्रमण्डल,चाईबासा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
कोल्हान वन प्रमण्डल,चाईबासा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पोड़ाहाट वन प्रमण्डल,चाईबासा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

परियोजना निदेशक
ITDA, प० सिंहभूम, चाईबासा

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 47 वन **/ क. चाईबासा, दिनांक :–** 13-11-16

प्रतिलिपि– सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड, रॉची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड रॉची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सरकार के सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सरकार के सचिव, वन एवं पार्यावरण विभाग, झारखण्ड रॉची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रॉची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित सदस्य ______________________ को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/16

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर

प्रेषक, पत्रांक : 861

अनुमंडल पदाधिकारी,
जगन्नाथपुर।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जगन्नाथपुर, दिनांक : 03 नवम्बर 2016

विषयः– दिनांक 02.11.2016 को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा (वनाधिकार अधिनियम 2006) के तहत गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पूर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत दिनांक 02.11.2016 को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा (वनाधिकार अधिनियम 2006) के तहत गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पूर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित प्रतिवेदन एवं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन इस पत्र के साथ मूल अभिलेख संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

03/XI

अनुमंडल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

816 CB/80
10/11/16

दिनांक 02.11.2016 को अनुमण्डल पदाधिकारी जगन्नाथपुर की अध्यक्षता में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :–

(151) (18)

उपस्थिति :– पंजी में :–

प्रस्ताव सं॰–01– जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 1225(बी॰)/क॰, दिनांक 17.10.2016 के द्वारा गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वनक्षेत्र में आने वाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से (वनाधिकारी अधिनियम 2006 के तहत) मुण्डा ग्राम– गुवासाई के अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2016 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा में महिला– 15, पुरूष – 61 कुल 76 ग्रामीणों की उपस्थिति हुई है। ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है तथा अंचल अधिकारी नोवामुण्डी के पत्रांक 471(बी), दिनांक 30.09.2016 द्वारा उक्त वन भूमि में आदिम जनजाति (PTG) एवं पूर्व कृषक समुदाय (PAC) प्रभावित नहीं होने से सम्बंधित प्रतिवेदन दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सदस्य अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति जगन्नाथपुर।	प्र0कल्याण पदा0 नोवामुण्डी–सह–अनु॰क॰पदा॰ जगन्नाथपुर।	सहायक वन संरक्षक चाईबासा	सहायक वन संरक्षक सारण्डा, चाईबासा	अनुमण्डल पदाधिकारी जगन्नाथपुर।

(150)

झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी –सह–उपायुक्त का कार्यालय,पश्चिमी सिंहभुम,चाईबासा
(कल्याण शाखा)

पत्रांक – 1225 /क0,
दिनाँक – 17/10/16

प्रेषक

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

सेवा में

अनुमण्डल पदाधिकारी,
जगन्नाथपुर।

विषय :– गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्राप्त प्रतिवेदन को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के पत्रांक 471, दिनांक 30.09.2016

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रस्ताव प्राप्त है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू 4.45 हेक्टेयर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उक्त क्षेत्र में वन भूमि अपयोजन से **Primitive Tribal Groups (PTG) and Pre-Agriculture Communities (PAC) Village** प्रभावित नही है से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी से मांग किया गया था।

अतः अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू 4.45 हेक्टेयर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजने की कृपा किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

[signature] 17/x/16

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

17.10.16

ज्ञापांक 1225 /क0, दिनांक :– 17/10/16

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को उनके पत्रांक 720, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

[signature] 17/x/16

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

17.10.16

88

झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी –सह–उपायुक्त का कार्यालय,पश्चिमी सिंहभुम,चाईबासा
(कल्याण शाखा)

पत्रांक – 1101 /क0,
दिनाँक – 19-9-16

प्रेषक

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

सेवा में

अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

विषय :– गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रस्ताव प्राप्त है।

अतः प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुरोध है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू 4.45 हेक्टेयर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उक्त क्षेत्र में वन भूमि अपयोजन से **Primitive Tribal Groups (PTG) and Pre-Agriculture Communities (PAC) Village** प्रभावित नही है से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/09/16

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी –सह–उपायुक्त का कार्यालय,पश्चिमी सिंहभुम,चाईबासा
(कल्याण शाखा)

पत्रांक – 1101 (वी) /क0,
दिनाँक – 19-9-16

प्रेषक

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

सेवा में

अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

विषय :– गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रस्ताव प्राप्त है।

अतः प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुरोध है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू 4.45 हेक्टेयर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उक्त क्षेत्र में वन भूमि अपयोजन से Primitive Tribal Groups (PTG) and Pre-Agriculture Communities (PAC) Village प्रभावित नही है से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-
जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

ज्ञापांक 1101 वी /क0, दिनांक :– 19-9-16

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को उनके पत्रांक 720, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/16

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

(97)

झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी –सह–उपायुक्त का कार्यालय,पश्चिमी सिंहभुम,चाईबासा
(कल्याण शाखा)

पत्रांक – /क0,
दिनाँक –

प्रेषक

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

सेवा में

अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

विषय :– गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रस्ताव प्राप्त है।

अतः प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुरोध है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू 4.45 हेक्टेयर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उक्त क्षेत्र में वन भूमि अपयोजन से **Primitive Tribal Groups (PTG) and Pre-Agriculture Communities (PAC) Village** प्रभावित नही है से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

ज्ञापांक 1101 वी/क0, दिनांक :– 19-9-16

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को उनके पत्रांक 720, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/16

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

अंचल अधिकारी का कार्यालय नोवामुण्डी

पत्रांक - 471 (B)
दिनांक - 30-9-16

6/10/16

~~प्रेषक~~
~~अंचल अधिकारी~~
~~नोवामुण्डी~~

सेवा में

जिला कल्याण पदाधिकारी
प० सिंहभूम, चाईबासा

विषय :- गुवा लिंक पथ (MDR 187) हाथी चौक - बराइबुरु से गुवा तक सड़क पुनर्निर्माण चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अनापत्ति संबंधी।

प्रसंग :- ज्ञापांक 1101/नी० दिनांक 19-9-16

महाशय

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में रा० कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदित किया गया है कि हाथी चौक से गुवा लिंक पथ हेतु 4.45 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि अपयोजन से आदिम जनजाति (PTG) एवं पूर्व कृषक समुदाय (PAC) प्रभावित नहीं है।

744B/
6/10/16

विश्वासभाजन

30/9/16

अंचल अधिकारी
नोवामुण्डी

झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी –सह–उपायुक्त का कार्यालय,पश्चिमी सिंहभुम,चाईबासा
(कल्याण शाखा)

पत्रांक – 1101 वी /क0,
दिनाँक – 19-9-16

प्रेषक

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

सेवा में

अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

विषय :– गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू वन क्षेत्र में आनेवाले पथांशों के लिए 4.45 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन हेतू अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त प्रस्ताव प्राप्त है।

अतः प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुरोध है कि गुवा लिंक पथ (MDR187) हाथी चौक बरायबुरू से गुवा तक के पुर्ननिर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतू 4.45 हेक्टेयर पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निमित्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उक्त क्षेत्र में वन भूमि अपयोजन से Primitive Tribal Groups (PTG) and Pre-Agriculture Communities (PAC) Village प्रभावित नही है से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/9/16

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

19.9.16

ज्ञापांक 1101 वी/क0, दिनांक :– 19-9-16

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को उनके पत्रांक 720, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।

19.9.16